"जैव विविधता संरक्षण.....प्रकृति के साथ जीने की कला"

कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

ई-मेल sbbuttarakhand@gmail.com
वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in
423, इन्दिरा नगर कॉलोनी (निकट मलिक चौक),
देहरादून–248006 (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

पत्रांक: 255 /जै०वि०बो०- 23-6 दिनांक 20 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अनुसार प्रदेश के अन्तर्गत पाये जाने वाले दुर्लभ, संकटग्रस्त अथवा विलुप्ति के कगार पर पहुंची प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु ऐसी प्रजातियों के विदोहन, व्यवसायिक प्रयोग अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित अथवा प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही जैव विविधता बोर्ड द्वारा की जा सकती है। परन्तु ऐसी प्रजातियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के निर्देश जारी करने से पूर्व, ऐसी प्रजातियों को चिन्हित कर उनकी विस्तृत सूची तैयार करना आवश्यक है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पाये जाने वाले दुर्लभ, संकटग्रस्त अथवा विलुप्ति के कगार पर पहुंची प्रजातियों की पूर्व में तैयार की गयी सूची को अध्यावधिक स्थिति में रखना तथा उनके संरक्षण हेतु रणनीति बनाने में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को सहयोग प्रदान करने के लिये **Expert Advisory Committee for Faunal Rare and Threatened Species** का गठन निम्न अनुसार किया जाता है:–

1.	डा० धनंजय मोहन, APCCF (Wildlife), Uttarakhand	– अध्यक्ष
2	डा० मधुकर पराग धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त	– सदस्य
3	निदेशक, प्राणी सर्वेक्षण संस्थान	– सदस्य
4	निदेशक, पशुपालन विभाग	– सदस्य
5	निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान	– सदस्य
6	डा० बिवश पाण्डव, वैज्ञानिक–F, WII	– सदस्य
7.	डा० के0 रमेश, वैज्ञानिक–E, WII	– सदस्य
8	डा० अभिजीत दास, वैज्ञानिक–C, WII	– सदस्य
9.	श्री एच.के.पुरोहित, उपनिदेशक, मत्सय विभाग	– सदस्य
10.	डा० रोहित चक्रवर्ती	– सदस्य
11.	श्री संजय सोंधी, तितली ट्रस्ट	– सदस्य

भवदीय

(एस०एस० रसाईली),
सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।